संख्या-71/2015/1736/26-3-2015-4(40)/2015

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 11 जुलाई 2015

विषयः- रिट याचिका संख्या-1510/2015, विवेकानन्द इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलाजी, इटावा रिट याचिका संख्या-1512/2015 सर मदन लाल इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट, इटावा व रिट याचिका संख्या-1511/2015, मदन लाल इन्स्टीट्यूट आफ फार्मेसी, इटावा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-12.05.2015 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्रांक-614-17/सक/शिक्षा-अ/2015-16, दिनांक-02.06.2015, द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यकविचारोपरांत उक्त याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-12.05.2015 के अनुपालन में याची शिक्षण संस्थाओं की वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं की शुल्क प्रतिपूर्ति की ट्रान्जेक्शन फेल्योर की धनराशि रूपया-59.07271/- लाख (रूपया-उनसठ लाख सात हजार दो सौ इकहत्तर मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत करके आपके निवर्तन पर रखी गयी है, से भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30 मार्च 2015 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृं0 संख्या-1736(1)/26-3-2015 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2 जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, इटावा।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. गार्ड फाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in